केंद्रीय विद्यालय संगठन
केंद्रीय विद्यालय संगठन/ Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, संस्थानिक क्षेत्र/ 18, Institutional Area
शहीद जीत सिंह मार्ग/ Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली–16/ New Delhi – 16
011-26858570

फ.स.110239/51/2019/बजट/केवीएस(मुख्या.) 11178 दिनांक:15.7.19

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र भाग II-खण्ड-3-उप खण्ड (i) भाग -5 दिनांक 16.06.2017 जोकि वास का प्रतिधारण के संबंध मे है, की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है।

12/7/19
(संजय कुमार)
सहायक आयुक्त(वित)

वितरण :

1. उपायुक्त, के. वी. एस. , सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
2. वित्त अधिकारी , के. वी. एस. , सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी अधिकारी / अनुभाग , के. वी. एस. (मु.)।
4. प्राचार्य , के. वी. काठमांडू , मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव , सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक , जीट ग्वालियर , मुंबई , मैसूर , चंडीगढ़ एवं भूबनेश्वर।
7. उपायुक्त, ई डी पी , के वी एस (मु.) को के वी एस (मु.) की वैबसाइट के शीर्ष "सूचना पट(Announcements) " के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. आर टी आई , के वी एस (मु.)।
9. गार्ड फ़ाइल

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2017/ज्येष्ठ 29, 1939
No. 496] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2017/ JYAISTHA 29, 1939

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

सा.का.नि. 598(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सरकारी वास आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 और गैराज नियम, 1964 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन देश के विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को वास के आबंटन की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "वास" से संपदा निदेशालय के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकार का साधारण आवासिक वास (जीपीआरए) अभिप्रेत है;

(ख) "आबंटन" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार आवासिक वास के अधिभोग की अनुज्ञप्ति प्रदान करना अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत, आबंटन की स्वचालित प्रणाली (एएसए) या आवंटन की हस्तचालित प्रणाली भी है;

(ग) "गैराज का आबंटन" से इन नियमों के उपबंधों के अनुसार गैराज के अधिभोग की अनुज्ञप्ति प्रदान करना अभिप्रेत है;

38. अस्थायी प्रास्थिति वाले कर्मचारियों को आबंटन—

(1) पात्र कार्यालयों में कार्य करने वाले अस्थायी प्रास्थिति कर्मचारियों के लिए वास के आबंटन को भी विचार में लिया जाएगा जिन्हें "भारत सरकार की नैमित्तिक मजूदर (अस्थायी प्रास्थिति और नियमितिकरण प्रदान करना) स्कीम" के उपबंधों के अधीन अस्थायी प्रास्थिति प्रदान की गई है।

परंतु ऐसे अस्थायी प्रास्थिति कर्मचारी ने अस्थायी प्रास्थिति के रूप में कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो और वास के लिए पात्र सम्बंधित नियमों के अनुसार गृह किराया भत्ता प्राप्त किया हो।

(2) अस्थायी प्रास्थिति कर्मचारियों की पूर्विकता की तारीख वह होगी जिसको उन्होंने अस्थायी प्रास्थिति कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी की हो।

39. विवाह या सामाजिक कृत्यों के लिए वास का अस्थायी आबंटन—

विवाह या सामाजिक प्रयोजनों के लिए वास का अस्थायी आबंटन संपदा निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों द्वारा शासित होगा।

भाग – 5

वास का प्रतिधारण

40. कोई प्रतिधारण की रियायती अवधि—

(1) कोई आबंटिती, इन नियमों में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के होने पर, उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, परंतु वास आबंटिती या उसके परिवार के सदस्यों के लिए सद्भाविक उपयोग के लिए अपेक्षित है, वास को प्रतिधारित करने के लिए अनुज्ञात हो सकेगा:

सारणी

क्र. सं.	घटना	वास के प्रतिधारण के लिए अनुज्ञेय अवधि
(1)	(2)	(3)
(i)	सेवा से त्यागपत्र, सेवा से पदच्युति या हटाना, सेवा की समाप्ति या अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत अनुपस्थिति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति (सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के अधीन) और अनियमित सरकारी सेवकों के लिए।	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर एक मास
(ii)	सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आधारों पर सेवानिवृत्ति, सेवांत छुट्टी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति (एफआर 56(जे) के अधीन, अपात्र कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर सेवानिवृत्ति ऐसे संगठनों के आरंभिक गठन के दौरान, तकनीकी त्यागपत्र, पुनर्नियोजन पर आबंटिती की मृत्यु (सेवानिवृत्ति पर प्रतिधारण उपभोग को विचार में लिए बिना) और ऐसे किसी आबंटिती की मृत्यु, जो नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं।	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर छः मास
(iii)	विद्यमान स्थान से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरण, उसी स्थान पर, किसी अपात्र कार्यालय में स्थानांतरण, भारत में विदेशी सेवा पर अग्रसर होने पर, भारत में अस्थायी स्थानांतरण या भारत के बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरण या भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति।	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर दो मास + दोगुनी अनुज्ञप्ति फीस पर छः मास।
(iv)	आबंटिती की मृत्यु के मामले में, पात्र पति-पत्नी या प्रतिपाल्य, या लापता व्यक्तियों के मामले में (उस तारीख से, जिसको पुलिस प्राधिकारी ने कर्मचारी का लापता होना प्रमाणित किया है)।	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर बारह मास और आगे बारह मास के लिए सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर, परंतु मृतक या लापता आबंटिती या परिवार का कोई सदस्य वास के अधिभोग के स्थान पर किसी गृह का स्वामी न हो।

(v)	अध्ययन छुट्टी	छुट्टी की वास्तिवक अवधि या दो वर्ष, जो भी पूर्वतर हो।
(vi)	चिकित्सा आधारों के बिना असाधारण छुटटी, प्रशिक्षण पर अग्रसर होने पर, लोकसभा या राज्य सभा सचिवालय को केन्द्रीय स्टार्फिंग स्कीम के अधीन अनिवार्य रूप से तैनाती पर किसी स्थापन अधिकारी से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्रमाण पत्र पर, और विदेश मंत्रालय द्वारा घोषित किसी गैर-परिवार स्थान को स्थानांतरण पर (परंतु आबंटिती या परिवार के सदस्य की तैनाती के अन्तिम स्थान पर किसी गृह का स्वामित्व नहीं रखता हो) से भिन्न सभी प्राधिकृत और मंजूर छुटियां	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर तैनाती/छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए।
(vii)	लोक सेक्टर उपक्रम, कानूनी और स्वायत्त निकायों में उनके आरंभिक गठन होने पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर।	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर साठ मास + आबंटिती द्वारा संगठन से आहरित गृह किराया भत्ता।
(viii)	सेवानिवृत्ति से निवृत्तिपूर्व छुट्टी एफआर 86 के अधीन प्रदत्त की गई अस्वीकृत छुट्टी या सरकारी सेवक को प्रदत्त की गई अर्जित छुट्टी, जो एफआर 56(जे) के अधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।	छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि के लिए सम्पूर्ण औसत वेतनमान पर, सेवानिवृत्ति से निवृत्तिपूर्व छुट्टी के मामले में एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम अवधि के अध्यधीन और अन्य मामलों में चार मास, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के मामले में सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर, अनुज्ञेय अवधि भी है।
(ix)	(i) भारत सरकार के विभागों या अन्य मंत्रालयों या कार्मिक अप्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र पर केन्द्रीय स्टार्फिंग स्कीम के अधीन लोक सेक्टर उपक्रम, कानूनी और स्वायत्त निकायों में आज्ञापक तैनाती पर, और (ii) केन्द्रीय स्टार्फिंग स्कीम के अधीन चार वर्ष की सेवा करने के पश्चात्, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र पर गैर-केन्द्रीय स्कीम के अधीन उसी स्थान पर लोक सेक्टर उपक्रम, कानूनी और स्वायत्त निकायों में आज्ञापक तैनाती पर।	सामान्य अनुज्ञप्ति फीस पर तैनाती की सम्पूर्ण अवधि + आबंटिती द्वारा संगठन से आहरित गृह किराया भत्ता।

(2) साधारण आवासिक वास पूल के अनुज्ञप्ति फीस मुक्त आबंटिती सेवानिवृत्ति पर एक मास की अवधि के लिए वास प्रतिधारण के लिए अनुज्ञात होंगे:

परंतु एक मास की अवधि की समाप्ति पर आवंटिती इन नियमों में यथाविहित, अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान वास के प्रतिधारण के लिए करेगा।

(3) साधारण आवासिक पूल के सभी आबंटिती, सम्पदा निदेशालय को स्वतः-प्रमाण उनके छः मास से अधिक की छुट्टी पर होने पर और परिवार के लिए वास का प्रतिधारण अपेक्षित होने के मामले में, पत्र देंगे।

41. मृत्यु, सेवानिवृत्ति और किसी गैर-परिवार स्थान को तैनात किसी आबंटिती के स्थानांतरण और भारत में किसी स्थान पर पुनः स्थानांतरण पर वास का प्रतिधारण –

(1) सेवानिवृत्ति या किसी आबंटिती का गैर-परिवार स्थान को उसकी तैनाती के दौरान स्थानांतरण के मामले में, आबंटिती को गैर-परिवार स्थान पर स्थानांतरण के पूर्व तैनाती के अंतिम स्थान पर अधिभोग के अधीन वास का प्रतिधारण की प्रसुविधा, इन नियमों के अधीन् विहित अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर, अनुज्ञेय अवधि के लिए, अनुज्ञात होगी।